

15008

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



AY 462447

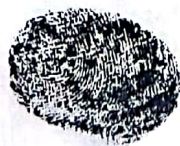
श्री श्री

!!जय श्री कृष्ण!!

लेख-पत्र का संक्षिप्त विवरण-

1. भूमि का प्रकार-आवासीय
2. वार्ड परगना- जिला मथुरा
3. मौहल्ला/ग्राम-मौजा सुनरख बांगर तहसील व जिला मथुरा अन्दरून सरस्वती बिहार कालौनी
4. सम्पत्ति का विवरण(सम्पत्ति नं0)-प्लॉट नम्बर-122 का भाग
5. मापन की इकाई (हेक्टेयर/वर्गमीटर)-वर्गमीटर
6. विक्रय सम्पत्ति का क्षेत्रफल-122.5 वर्गमीटर
7. सड़क की स्थिति(परिशिष्ट के अनुसार)-रास्ता 6मीटर से कम चौड़ा

श्री श्री



Signature of the issuer.



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 462448

(2)

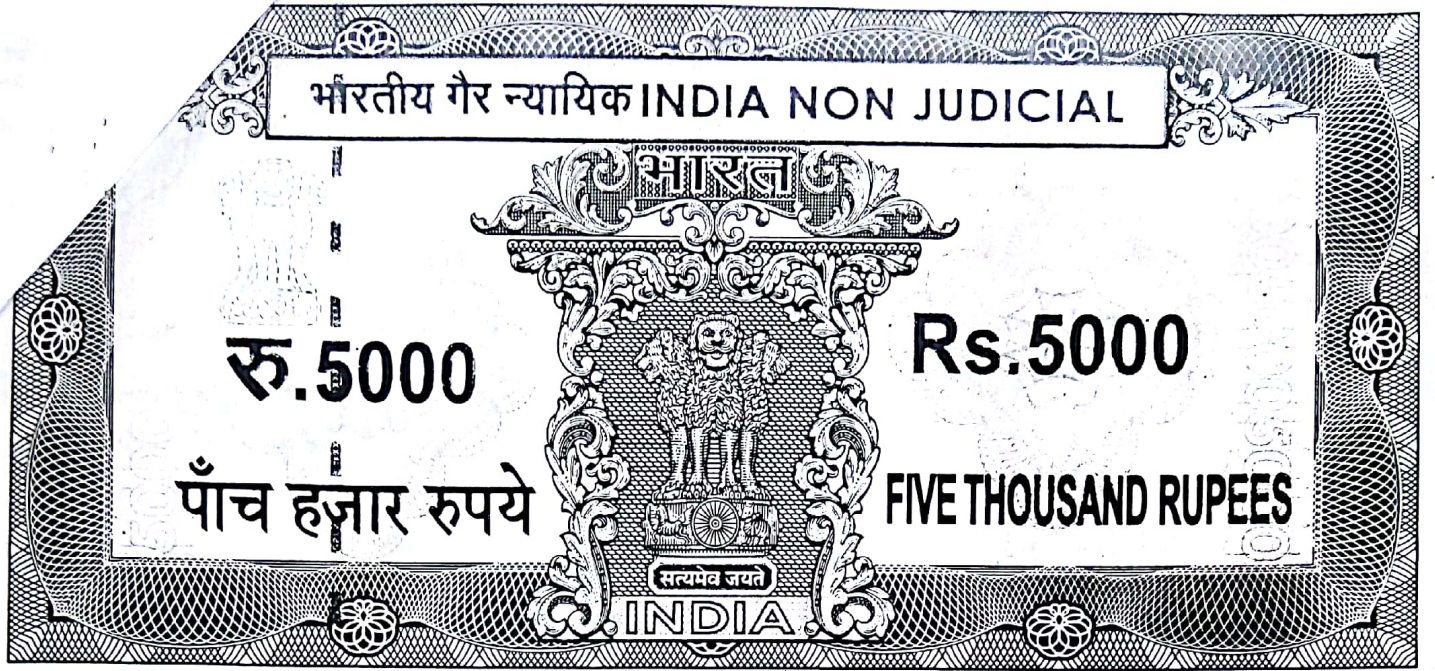
8. प्रतिफल की धनराशि 8,80,000/-रुपये,सरकारी रेट 6500/-रुपये प्रति वर्गमीटर जो रेट लिस्ट में पेज नम्बर 17 कोड नं0 0128 पर दर्ज है,का है जिसके हिसाब से मालियत 7,97,000/-रुपये,तथा प्रतिफल की धनराशि अधिक होने के कारण प्रतिफल पर देय स्टाम्प 61,600/-रुपये,क्षेत्र-उपनिबन्धक प्रथम मथुरा,विकास शुल्क सीमा के अन्दर व नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित है।मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कालौनी नही है।

श्याम रानी



[Handwritten signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 462449

(3)

प्रथमपक्ष की संख्या-1

नाम: श्रीमती राधारानी पुत्री श्री बलबन्त सिंह निवासी-हनुमान टीला, मोती झील, वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा

विकेती प्रथमपक्ष

द्वितीयपक्ष की संख्या-1

नाम:- पिकसिटी प्रोपर्टीज प्रा० लि० द्वारा दुर्गेश अग्रवाल पुत्र श्री विष्णु प्रसाद अग्रवाल निवासी-रेतिया बाजार, वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा

केता द्वितीयपक्ष

पक्षगण इस प्रलेख के हैं।

राधा रानी



—



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 462450

(4)

जो कि एक किता प्लाट नम्बर-122 का भाग पैमाइशी पूरब-42 फीट, पश्चिम-36फीट 6इंच, उत्तर-33फीट 6इंच, दक्षिण-33 फीट 6इंच, क्षेत्रफल 146.09 वर्गगज बराबर 122.5 वर्गमीटर, जिसकी सीमा यह है-

पूरब-प्लाट नं0121 का भाग,

पश्चिम-प्लाट नं0 122 का भाग

उत्तर-जमीन मोडा पैलेस वाले,

दक्षिण-रास्ता 15फीट चौड़ा

स्थित-मौजा सुनरख बांगर तहसील व जिला मथुरा अन्दरून सरस्वती

बिहार कालौनी, जो खसरा सं0 985 में स्थित है। उक्त प्लाट मय अन्य जमीन के

साक्षात्कारी

(Signature)



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 462451

(5)

प्रथमपक्ष ने बजरिये बैनामा दिनांक 29.10.2007 को कु0सरस्वती शुक्ला पुत्री श्री रोहिणी प्रसाद शुक्ला आदि से कय किया जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नं01 जिल्द सं02589 के पृ0 33/66 में नंबर 11307 पर पंजीकृत हुई है खरीदा है इस प्रकार उक्त प्लाट जमीन जर खरीद मिल्कियत प्रथमपक्ष की है। उक्त प्लाट जमीन प्रथमपक्ष के कब्जा मालिकाना में हैं। तथा प्रथमपक्ष का ही नाम दर्ज कागजात सरकारी है। प्लाट उपरोक्त हर प्रकार के झगड़े-झंझट, कर्जे आदि से पाक

राधा रानी



[Handwritten signature]



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

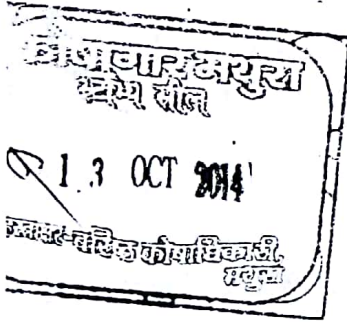
FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 462452

(6)



साफ है। न कोई वाद विवाद है न कोई भार है और न किसी की जमानत में हैं, गरजे की मिलिकयत पाक साफ प्रथमपक्ष विक्रेता है। सिवाय विक्रेता प्रथमपक्ष के उक्त प्लाट जमीन का अन्य कोई मालिक व हकदार व हिस्सेदार नहीं है। न किसी भी जगह रहन व गिरवी आदि है। न उक्त प्लाट जमीन किसी सरकारी संस्था या बैंक आदि में बंधक है। न किसी डिग्री में नीलाम या कुर्क है। न ही विक्रेता प्रथमपक्ष फर्म ने

शरमा रानी



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

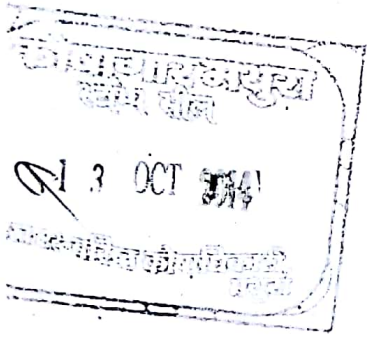
FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 462453

(7)



उक्त प्लाट जमीन को बेचने का इकरारनामा किसी के साथ तय कर रखा है। न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो प्रथमपक्ष के हस्तान्तरण आदि करने में किसी प्रकार की कोई बाधा या रुकावट पैदा कर सके। यानि उक्त प्लाट जमीन हर प्रकार के झगड़े-झंझट कर्जे आदि से पाक साफ प्रथमपक्ष की सम्पत्ति है। तथा प्रथमपक्ष को

राधा रानी



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 462454

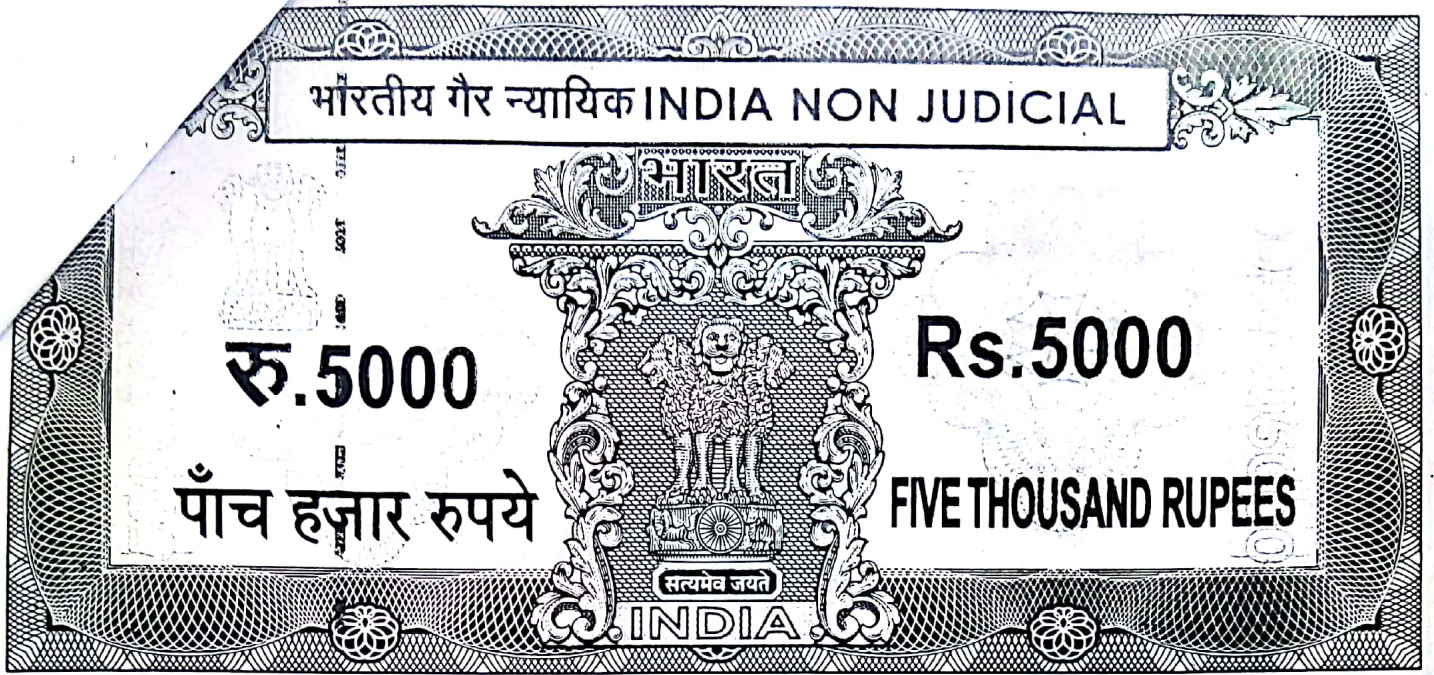
AY 462454

(8)

उपरोक्त प्लॉट के विषय में सम्पूर्ण अधिकार मालिकाना व काबिजाना व हस्तान्तरण आदि हर प्रकार के प्राप्त हैं। अब वास्ते खर्च खुद विक्रेता प्रथमपक्ष को अपना उक्त प्लॉट जमीन बेचनी आवश्यक है। और इस समय द्वितीयपक्ष उक्त प्लॉट जमीन को अच्छी कीमत देकर कय करने को तैयार हैं। इस कीमत में बेच देने में विक्रेती प्रथमपक्ष का सरासर लाभ है। चुनांचि उक्त प्लॉट जमीन को समस्त अधिकारों सहित

राधा रानी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 462455

(9)

जो प्रथमपक्ष को प्राप्त हैं अथवा भविष्य में प्राप्त हों यानि कुल को बिना छोड़े किसी हक व हिस्सा व सम्बन्ध के मय राइट्स समस्त अधिकारों सहित वखुशी वराजी अपने वएवज 8,80,000/-आठ लाख अस्सी हजार रुपये जिनके आधे 4,40,000/-चार लाख चालीस हजार रुपये होते हैं।बदस्त-पिंकसिटी प्रोपर्टीज प्रा०लि० द्वारा दुर्गेश अग्रवाल पुत्र श्री विष्णु प्रसाद अग्रवाल निवासी-रेतिया बाजार,वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा केता द्वितीयपक्ष को बेच दिया और कतई वै कर दिया और कीमत के कुल 8,80,000/-रुपये बजरिये चैक नं० 016062 दिनांक 13.10.2014 ओ.बी.सी बैंक शाखा राजपुर मथुरा द्वारा प्राप्त करके कब्जा व दखल बेचे गये प्लाट जमीन पर खरीदार का वाकई अपने समान पूरा मालिकाना करा दिया और

राधा रानी



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 462456

(10)

खरीदार उक्त प्लॉट जमीन का पूरा मालिक हो गया अब वह समस्त अधिकार मालिकाना व हस्तान्तरण आदि प्रयोग में लावे व निर्माण आदि करे व स्वयं जो चाहे सो करे। अब विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसों का उक्त बेचे गये प्लॉट जमीन में कुछ भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध किसी प्रकार का कुछ भी शेष नहीं रहा और न

राधा रानी



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 5000

पाँच हजार रुपये

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 458795

AY 458795

(11)

आयन्दा भविष्य में होगा। अगर कभी कोई व्यक्ति उक्त बेचे गये प्लॉट जमीन के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दावा या झगड़ा उत्पन्न करें और उसके कारण विक्रय प्लॉट जमीन का जुज या कुल भाग कब्जा खरीदार से निकल जावे या खरीदार का कुछ खर्च करना पड़े या कहीं रहन आदि निकले ता विक्रेता प्रथमपक्ष की हर प्रकार

राधा रानी



(Signature)





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY. 458796

AY. 458796

(12)

की पूरी जिम्मेदारी होगी। खरीदार अपनी कीमत का दिया गया रुपया मय हर्जा-खर्चा व लागत व अदा व खर्च किये गये रुपयों को प्रथमपक्ष व उसकी हर प्रकार की चल अचल सम्पत्ति से बाजाबता बजरिये अदालत मय सूद के वसूल कर लें इसमें विक्रेता

राधा रानी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 507843

(13)

[Handwritten signature]

प्रथमपक्ष व वारिसयान विक्रेता प्रथमपक्ष को किसी भी प्रकार का कुछ भी उज्र न होगा। बेचे गये प्लॉट जमीन पर कोई टैक्स नहीं है। बेचा गया प्लॉट खाली है। तथा कोई तामीरात नहीं है। अतः यह बैनामा अपनी राजी व खुशी से दोनों पक्षों ने पढ़कर

राधा राजी

[Handwritten signature]



भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 616276

(14)

व सुनकर व समझकर लिख दिया है कि सनद रहे और समय पर काम आवे। उक्त
प्रलेख दोनों पक्षों के निर्देशानुसार गवाहों के समक्ष पढ़ाकर व सुनाकर ड्राफ्ट व टाईप

राधा रानी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 673637

(15)

किया गया है। तथा गवाहान व खरीदार की शिनाख्त के आधार पर फोटो प्रमाणित किये गये हैं। तथा कंता-विकेता द्वारा उपलब्ध कराया गया प्लॉट का फोटो इस प्रलेख पर चस्पा किया गया है तथा प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष के पहचान पत्र प्रलेख के साथ संलग्न है।

शाय्या रानी



दिनांक: 13.10.2014

टाईपकर्ता- एस0के0

ड्राफ्टकर्ता- गोबिन्द प्रसाद शर्मा, एडवोकेट, मथुरा



साक्षी जानचन्द जी बलवंत सिंह शास्त्री
कि कोठल्लिहं कोलीन, बोहरा
प्रबलक स्कूल के पास, बल्लभगढ़
झि. जरीदाबाद

पवनशर्मा जी बलवंत सिंह शास्त्री
कि सोखती किंदा, सुनराव
तह-मुझार.

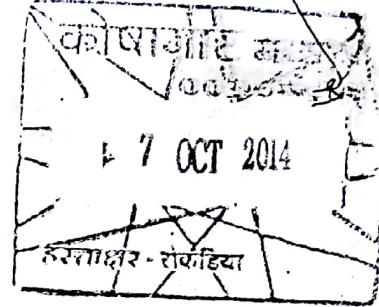
कानन चन्द

पवनशर्मा

17
TM

13 OCT 2014

D



आज दिनांक 13/10/2014 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 6784

पृष्ठ सं. 143 से 174 पर क्रमांक 15008

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

हनुमत प्रसाद

उप निबन्धक (द्वितीय)

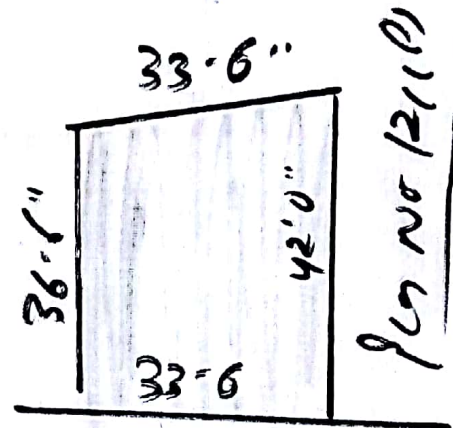
मथुरा

13/10/2014

SITE Plan of Plot No 122 (P) B.
 SENRAKH BANJAR SAMASHTI;
 VILAGE 14-904, MATHURA
 SHR. RADHA RANI
 AREA = 122.50 sqm

N
 W E
 S
 Plot No 122 (P)

Plot MODA PALACE
WALLEY



RAS TA - 15.

राधा रानी

[Signature]